निगरानी 1617-II-15

समक्ष सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

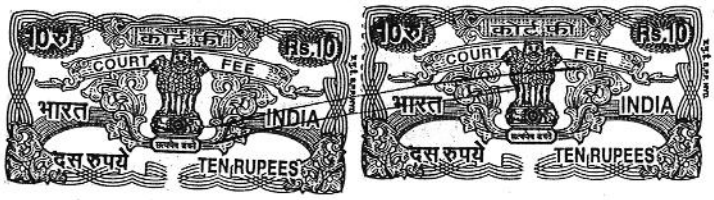

Rs. 201/-

172
4.6.15

महावीर प्रसाद बैसवार तनय स्व0 श्री रामप्रसाद बैसवार उम्र–90 वर्ष, पेशा–खेती निवासी ग्राम नैकिन, थाना व तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

.......................*निगराकार*

बनाम

अश्वनी गौतम तनय श्री सतानंद गौतम भागीदार मे0 श्री कृष्णदास टीकाराम सिविल लाईन कटनी, जिला कटनी (म0प्र0) ....*गैर निगराकार*

श्री यु.एल.ओ. राम पाठक .एड के द्वारा आज दिनांक 4-6-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1096/अपील/11–12 में पारित अंतरिम आदेश/निर्णय दिनांक 25.04.2015

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न हैः–

1– यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) के समक्ष राजस्व अपील प्र.क. 1096/अपील/11–12 प्रचलन में थी जो प्रथमतः 25.03.2014 को कथित अदम पैरवी में खारिज कर दी गई जिसके पुर्नस्थापन हेतु अविलंब आवेदन 28.03.2014 को प्रस्तुत किया गया, इसके पश्चात दिनांक 10.10.2014 को अपीलांट की कथित अनुपस्थिति के कारण पुर्नस्थापन के आवेदन को भी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। पुनः आवेदन प्रस्तुतकरने पर विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना उक्त प्रस्तुत आवेदन–पत्र में दि. 25.04.15 को अपीलांट आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम बर 25.03.2014 को कथित अनुपरिथति के कारण प्रकरण मुें एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी, उक्त कार्यवाही विधि की मंशा के विपरीत अनावेदक/गैर निगराकार के प्रभाव में आकर की गई थी क्योंकि अनावेदक खनि ठेकेदार है और वह न्यायिक प्रक्रिया में सुविधा का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-1617-II/2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश महावीर प्रसाद/अश्वनी गौतम	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–01–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम पाठक उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क श्रवण किए गये। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 25.04.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रचलित अपील कमांक 1096/ अपील /11–12 के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले दिनांक 25.3.14 को अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। इसके तुरंत बाद पुनर्स्थापन हेतु आवेदन दिनांक 28.3.14 को प्रस्तुत किया गया।पुनर्स्थापन आवेदन पत्र को भी निगरानीकर्ता की कथित अनुपस्थित के कारण दिनांक 10.10.14 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक के अधिवक्ता निर्धारित दिनांक को उपस्थित होते रहे हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत प्रवाचक द्वारा न्यायालयीन समय तक यह कहते हुए कि प्रकरण मिल नहीं रहा है और अधिवक्ता के जाने के बाद दोनों ही बार प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उसी दिनांक 10.10.14 को न्यायालय में प्रचलित दूसरे प्रकरण कमांक 1390/अपील /10–11 माया कोल/सत्यवती बैस में अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित थे तथा प्रकरण में हस्ताक्षर भी किए थे, किन्तु उक्त प्रकरण न्यायालयीन समय तक नहीं बताया गया। न्यायालयीन समय समाप्त होने बाद आवेदक के अधिवक्ता के चले जाने के	

प्रकरण कमांक R -1617-II/2015 **जिला रीवा**

पश्चात पुनर्स्थापन आवेदन भी दिनांक 10.10.14 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। निगरानी मेमो के बिन्दु कमांक 4 में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी लिखा गया है कि पीठासीन अधिंकारी अपर आयुक्त से मौखिक अनुरोध आवेदक अधिवक्ता ,द्वारा किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पत्रिका उपलब्ध नहीं करायी गयी तब आवेदक अधिवक्ता द्वारा उसी दिनांक 10.10.14 को आयुक्त रीवा को शिकायती आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें इस बात की आशंका व्यक्त की गयी कि मेरा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया जावेगा, और वही हुआ कि प्रकरण दिनांक 10.10.14 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 25.4.15 का अवलोकन किया गया एवं संलग्न शिकायती आवेदन पत्र की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा यह आधार लेते हुए कि आवेदक को बार–बार समय देने के बाद भी अपीलांट के द्वारा नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रकरण की पैरवी नहीं की जा रही है ऐसी स्थिति में प्रकरण एवं पुनर्स्थापन के आवेदन पत्र को अदम पैरवी में खारिज किया गया है। उक्त संबंध में आवेदक की ओर से आयुक्त को की गयी शिकायती आवेदन पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा शिकायती पत्र दिनांक 10.10.14 में यह आशंका व्यक्त की गयी थी कि प्रकरण सुनवाई हेतु निकाला नहीं जा रहा है और बाद में उसे अदम पैरवी में खारिज कर दिया जावेगा, और हुआ भी वहीं कि प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25.4.14 नैसर्गिक न्याय एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त किया जाता है। प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में आवेदक

प्रकरण कमांक R -1617-II/2015 **जिला रीवा**

को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि प्रकरण नियत पेशी पर निकाल कर अपने समक्ष सुनवाई करें तथा उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में गुण दोष पर आदेश पारित करें । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

5.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य